



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102020-222194
CG-DL-E-01102020-222194

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498]
No. 498]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2020/आश्विन 9, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2020/ASVINA 9, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 610(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 44कख, धारा 92ड., धारा 115 खकक की उपधारा (2) के खंड (iv), धारा 115खकख की उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (iii), धारा 115खकग की उपधारा (2) के खंड (iii), उपधारा 3 का परंतुक, उपधारा (5), धारा 115खकघ की उपधारा (2) के खंड (iii), उपधारा (3) के परंतुक और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (22वां संशोधन) नियम 2020 है।
(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- आयकर नियम, 1962 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है).-

(क) नियम 5 के उप-नियम (1) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु किसी ऐसे आस्ति समूह के जो चालीस प्रतिशत से अधिक की हकदार किन्ही आस्ति समूह के अवक्षयण की बाबत धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन मोक को -

(i) ऐसी देशी कंपनी की दशा में, जिसने धारा 115 खक की उपधारा (4) के अधीन किया या धारा 115 खक की उपधारा (5) के अधीन या धारा 115 खक की उपधारा (7) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है ;या

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब की दशाएं, जिसने धारा 115खक की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है ;या

(iii) भारत के निवासी ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसने धारा 115 खक के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, ऐसी आस्ति समूह के अवलिखित मूल्य पर चालीस प्रतिशत तक निबंधित किया जाएगा ;

परंतु यह और कि, धारा 115 खक के प्रयोजनों के लिए यदि निम्नलिखित शर्तों का समाधान हो जाता है, अर्थात् :-

(i) उसकी उपधारा (5) के अधीन विकल्प का 1 अप्रैल, 2020 को प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष के सुसंगत किसी पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के लिए प्रयोग किया जाता है ;

(ii) उसके किसी आस्ति समूह की बाबत किसी पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से कोई ऐसा अनामेलित मोक है या धारा 72क के अधीन इस प्रकार समझा गया कोई ऐसा शेष अवक्षयण का मोक है जिसे धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ii) के उपबंधों के प्रति माना जा सकता है ;और

(iii) ऐसा अवक्षयण या शेष अवक्षयण के लिए मोक का उसकी उपधारा (2) के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन मुजरा अनुज्ञात नहीं गया गया है,

1 अप्रैल, 2019 को आस्ति समूह का अवलिखित मूल्य शेष अवक्षयण के लिए ऐसे अवक्षयण या मोक द्वारा बढ़ा दिया जाएगा, जिसे मुजरा करने की अनुमति नहीं होगी

परंतु यह और भी कि धारा 115 खक और धारा 115 खक के प्रयोजनों के लिए, यदि निम्नलिखित शर्तों का समाधान हो जाता है, अर्थात्:-

(i) संबंधित धारा के उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग पिछले वर्ष के सुसंगत अभ्यास के लिए किया जाता है जो 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होता है;

(ii) आस्ति समूह के संबंध में अवक्षयण मोक है, जो किसी पूर्व निर्धारण वर्ष से है जो धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ii) से हुआ माना जा सकता है ; और

(iii) धारा 115 खक की उपधारा (2) के खंड (ii) के उपखंड (क) या धारा 115 खक की उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन ऐसे अवक्षयण के मुजरा करने की अनुमति नहीं है,

1 अप्रैल, 2020 को आस्ति के समूह का अवलिखित मूल्य ऐसे, अवक्षयण के द्वारा बढ़ाया जाएगा जिसका मुजरा नहीं होगा।”

(ख) नियम 21 कच के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“धारा 115 खक की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग - 21कछ (1) 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के लिए किसी व्यक्ति द्वारा जो व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब है, धारा 115 खक की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार प्रयोग किए जाने वाला विकल्प प्ररूप संख्या 10 ड. में होगा।

(2) प्ररूप संख्या 10 ड. में विकल्प या तो अंकीय चिन्हक या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप में दिया जाएगा।

(3) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली)-

(i) प्ररूप संख्या 10-ड. के फाइल करने के लिए प्रक्रिया, विनिर्दिष्ट करेगा ;

(ii) उक्त प्ररूप देने वाले व्यक्ति के सत्यापन के लिए, उप नियम (2) में निर्दिष्ट डाटा संरचना, मानक और इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के सृजन की रीति विनिर्दिष्ट करेगा ; और

(iii) इस प्रकार से दिए गए प्ररूप के संबंध में सूत्रबद्ध करना और समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और नीतियों में सुधार को विरचित करने और उसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

“धारा 115 खकघ की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग - 21कज (1) 1 अप्रैल, 2021 को या या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के लिए किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत में निवासी कोई सहकारी सोसाईटी है, धारा 115 खकघ की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार प्रयोग किए जाने वाला विकल्प प्ररूप संख्या 10 झच में होगा।

(2) प्ररूप संख्या 10 झच में विकल्प या तो अंकीय चिन्हक या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप में दिया जाएगा।

(3) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली)-

(i) प्ररूप संख्या 10-झड. के फाइल करने के लिए प्रक्रिया, विनिर्दिष्ट करेगा ;

(ii) उक्त प्ररूप देने वाले व्यक्ति के सत्यापन के लिए, उप नियम (2) में निर्दिष्ट डाटा संरचना, मानक और इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के सृजन की रीति विनिर्दिष्ट करेगा ; और

(iii) इस प्रकार से दिए गए प्ररूप के संबंध में सूत्रबद्ध करना और समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और नीतियों में सुधार को विरचित करने और उसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

3. मूल नियमों की परिशिष्ट 2 में,

(क) प्ररूप संख्या 3 ग ध में,-

(i) भाग क में, क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“8क क्या निर्धारिती ने धारा 115 ख क, धारा 115 ख क क, धारा 115 ख क ख के अधीन कराधान का विकल्प लिया है ? ”

(ii) भाग ख में,

(क) (I) क्रम संख्या 18 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे :-

“(गक) धारा 115ख क क के अधीन अवलिखित मूल्य के प्रति किया गया समायोजन (केवल निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए ;

(गख) समायोजित अवलिखित मूल्य ”;

(II) क्रम संख्या 32 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(क) उपलब्ध सीमा तक निम्नलिखित रीति में ली गयी अग्रिम हानि या अवक्षयण मोक के ब्यौरे :

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	हानि/ मोक की प्रकृति (रुपए में)	वापस की गई रकम (रुपए में)	धारा 115 ख क क के अधीन सभी हानियां/मोक अनुज्ञात नहीं	धारा 115 ख क क के अधीन कराधान के चयन के मद्दे अतिरिक्त अवक्षयण की वापसी द्वारा समायोजित राशि	यथा निर्धारित राशियां (सुसंगत आदेश के प्रति निर्देश देना)	टिप्पण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

*यदि निर्धारित अवक्षयण कम है और अपील लंबित नहीं है तो उसका निर्धारण करें।

केवल निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए भरें” ;

(ख) प्ररूप संख्या 3 ग ड. ख, के भाग ग में,-

(i) क्रम संख्या 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 23 और 24 को क्रमशः संख्या 22 और 23 के रूप में

पुनः क्रमांकित किया जाएगा ;

(iii) पुनःक्रमांकित क्रम संख्या 23 के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“24	<p>धारा 115 ख क ख की उपधारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के बीच कोई निष्पादित कारबार की प्रकृति में विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार की बाबत विशिष्टियां :-</p> <p>क्या निर्धारिती 115 ख क ख की उपधारा (6) में निर्देशित किसी व्यक्ति के साथ, कोई विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार (संव्यवहारों) किया है जिसके परिणामस्वरूप इस तरह के कारबार में सामान्य लाभ से अधिक प्रत्याशित है ?</p> <p>यदि “हां” तो निम्नलिखित ब्यौरा दें :-</p> <p>(क) व्यक्ति का नाम जिससे विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया गया है</p> <p>(ख) परिमाणात्मक ब्यौरे सहित संव्यवहार के विवरण, यदि कोई हो</p> <p>(ग) संव्यवहार में प्राप्त/प्राप्य या संदत्त/संदेय कुल रकम—</p> <p>(i) लेखा बहियों के अनुसार ;</p> <p>(ii) निर्धारिती द्वारा यथा संगणित आसन्निकट कीमत</p> <p>को ध्यान में रखते हुए ।</p> <p>(घ) आसन्निकट कीमत को अवधारित करने के लिए प्रयुक्त रीति [धारा 92ग (1) देखें]</p>	<p>हां /नहीं</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
-----	---	---

(ग) प्ररूप संख्या 10 झ घ के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप संख्या -10-झ ड.

[नियम 21कछ का उपनियम (1) देखें]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 ख क ग की उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन विकल्प का प्रयोग । प्रत्याहरण के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

.....

.....

महोदय/ महोदया,

मैं[व्यष्टि का नाम /हिंदू अविभक्त कुटुम्ब का नाम/..... [व्यष्टि हिंदू अविभक्त कर्ता का पता] की ओर से, जिसका स्थायी खाता संख्यांक (पैन)..... है, पूर्व वर्ष 20...और पश्चात्पूर्वी वर्षों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकग की उपधारा (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग/ प्रत्याहरण करता हूं ।

2. इस प्रयोजनों के लिए ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

(i) व्यष्टि का नाम हिंदू अविभक्त कुटुम्ब :

(ii) क्या व्यष्टि / हिंदू अविभक्त कुटुम्ब के पास कारबार या व्यापार से शीर्ष लाभ या अभिलाभों के अधीन कोई आय है: हां/नहीं

(iii) पैन :

(iv) पता :

(v) जन्म की तारीख / निगमन : दिन/मास/वर्ष

(vi) कारबार / वृत्ति की प्रकृति :

3 (i) क्या व्यष्टि / अविभक्त हिंदू कुटुम्ब के पास धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथा निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आई एफ एस सी) में कोई इकाई है : हां/ नहीं

(ii) यदि (i) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित ब्यौरा दें (इकाइयों की संख्या के आधार पर स्तंभों को जोड़ा जा सकता है) ।

	इकाई 1	इकाई 2	इकाई 3
(1)	(2)	(3)	(4)
इकाई का नाम			
इकाई का पता			
इकाई में किए गए क्रियाकलापों की प्रकृति			

4. (i) क्या कोई पूर्वतर पूर्व वर्ष/ वर्षों के लिए प्ररुप झ ड. में धारा 115 ख क ग की उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है और अब उसे प्रत्याद्दत किया है। (ऐसे मामलों में एक्विटेट किया जाएगा जहां वापसी का विकल्प प्रयोग किया गया है : हां नहीं

(ii) यदि हां, तो पूर्व वर्ष में कौन सा विकल्प प्रयुक्त हुआ था: 20.....-20...

(iii) तारीख, जिस पर प्ररुप 10-झ ड. में विकल्प : दिन/मास/वर्ष प्रयुक्त हुआ था :

5. मैं समझता हूं कि किसी पूर्व वर्ष में धारा 115 ख क ग की उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन विकल्प एक बार प्रयोग किए जाने पर उसी पूर्व वर्ष के लिए उसका प्रत्याहरण नहीं किया जा सकता है और तत्पश्चात् धारा 115 खकग के अधीन उसकी उपधारा (5) के प्रस्तुत के निबंधनों के विकल्प के प्रयोग के लिए मुझे/ व्यष्टि /हिंदू अविभक्त कुटुंब को अयोग्य कर दिए जाने पर किसी अन्य पूर्व वर्ष के लिए केवल एक बार उसका प्रत्याहरण किया जा सकता है।

6. मैं यह और प्रतिज्ञात करता हूं कि धारा 115 ख क ग में दी गई शर्तों का मेरे / व्यष्टि / हिंदू अविभक्त कुटुंब द्वारा समाधान कर लिया है और कर लिया जाएगा (ऐसे मामले में एक्विटेट किया जाएगा जहां विकल्प का प्रयोग किया गया है)

*हटा दें, जहां कहीं लागू नहीं होता है।

स्थान :

तारीख :

भवदीय

व्यष्टि/हिंदू अविभक्त कुटुंब का कर्ता /प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

पता.....

टिप्पण : यह प्ररूप व्यष्टि/हिंदू अविभक्त कुटुंब का कर्ता /प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।

प्ररूप संख्या 10 –अच

[[नियम 21 क ज का उपनियम (1) देखें]

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 खकघ के उपनियम (5) के अधीन विकल्प के प्रयोग के लिए आवेदन सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

.....

.....

महोदय/ महोदया,

मैं[धारा 115 खकघकी उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग करने वाले सहकारी सोसाइटी का नाम और रजिस्ट्रीकृत पता)..... की ओर से जिसका स्थायी खाता संख्या (पैन).....है, पूर्व वर्ष..... और पश्चातवर्ती वर्ष 20.....और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 खकघ की उपधारा (5) में निर्दिष्ट विकल्प प्रयोग करता हूं ।

2. सहकारी समिति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

- (i) सहकारी समिति का नाम :
(ii) क्या निवासी सहकारी समिति है : हां /नहीं
(iii) पैन :
(iv) रजिस्ट्रीकृत पता :
(v) निगमन की तारीख : दिन /मास /वर्ष
(vi) क्रियाकलापो की प्रकृति :

3 (i) क्या सहकारी समिति के पास धारा 80 ठक की उपधारा (1क) में यथा निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आई एफ एस सी) में कोई इकाई है ? : हां /नहीं

(ii) यदि (i) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित ब्यौरा दे: (इकाइयों की संख्या के आधार पर स्तंभों को जोड़ा जा सकता है ।

	इकाई 1	इकाई 2	इकाई 3
इकाई का नाम			
इकाई का पता			
इकाई में लिए गए क्रियाकलापों की प्रकृति			

5. मैं समझता हूँ कि धारा 115 खकघ की उपधारा (5) के अधीन किसी पूर्व वर्ष के लिए विकल्प का एक बार प्रयोग किए जाने पर, उसी या किसी अन्य पूर्व वर्ष के लिए पश्चात्वर्ती प्रत्याहरण नहीं किया जा सकता है।

6. मैं आगे यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि धारा 115 ख क घ की उपधारा (5) में बताई गई शर्तों और उपरोक्त सहकारी समिति द्वारा संतुष्ट होऊंगा।

स्थान

तारीख

भवदीय

प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

पता.....

टिप्पण : इस प्ररूप में प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे” ;

(घ) निर्धारण वर्ष 2020-21 से संबंधित आयकर की विवरणी, प्ररूप 6 में,-

(i) डी पी एम अनुसूची में,-

(I) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“3क	कराधान धारा 115 ख क क के चयन के कारण समायोजित रकम				
3ख	पूर्व वर्ष (3) + (3क) पूर्व वर्ष के पहले दिन को समायोजित अवलिखित मूल्य”;				

(II) क्रम संख्यां 5 में निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“5	“3ख या 4 से परे पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली”;				
----	---	--	--	--	--

(III) क्रम संख्यां 6 में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञात है (3ख+ 4 -5) (शून्य प्रविष्ट करें, यदि परिणाम नकारात्मक है)”;				
----	---	--	--	--	--

(IV) क्रम संख्यां 20 में निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ और हानि (5+8- 3ख -4 -7-19 (केवल नकारात्मक प्रविष्ट				
-----	---	--	--	--	--

		धारित इकाई के बीच वितरित हानि (केवल विनिधान तिथि के लिए लागू)																		
		xii																		
		xiii																		
		xiv			(अनुसूची खचठक का 2i)	(अनुसूची खचठक का 2ii)	(अनुसूची खचठक का 2iv)	(अनुसूची खचठक का 2v)	(अनुसूची खचठक का 2iii)											((अनुसूची खचठक का 2xiv)
		xv	2020-21 (वर्तमान वर्ष की हानियां अगनीत होंगी)	(अनुसूची गमठक का 2xvi)	(अनुसूची गमठक का 3xvi)	अनुसूची खचठक का 48 (यदि नकारात्मक है)	अनुसूची खचठक का 54, (यदि नकारात्मक है)	अनुसूची खचठक का 4 (iv), (यदि नकारात्मक है)		अनुसूची गमठक का 2x+3x+4x+5x		अनुसूची गमठक का 6x+7x+8+x		अनुसूची गमठक का 8x, यदि नकारात्मक है।						
		xvi	भविष्य के वर्षों में कुल हानियों का अग्रनयन																	
		xvii	इकाई धारकों के बीच वर्तमान वर्ष की हानि का वितरण);																	

(iii) अनुसूची पध के लिये निम्नलिखित अनुसूची को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"अनुसूची पध		धारा 35(4) के अधीन आमेलित अवक्षयन औप मोक						
क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण				धारा 35(4) के अधीन मोक		
		आगे लाया गया अमेलित अवक्षयण की रकम	कराधान धारा 115 खकक के लिए खाते में यथा समायोजित रकम का चयन	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध अवक्षयण की रकम का मुजरा	अतिशेष अगले वर्ष के लिए अग्रनीत	आगे लाई गई अमेलित मोक की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मोक की रकम का मुजरा	अतिशेष अगले वर्ष के लिए अग्रनीत

(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष							
ii								
iii								
iv	कुल".							

अधिसूचना संख्यांक 82/2020 [फा.सं.. 370142/30/2020-टी पी एल]

अंकित जैन, अवर सचिव, (कर नीति और विधायन खंड)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक 574 (अ) तारीख 22 सितंबर, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2020

INCOME-TAX

G.S.R. 610(E).—In exercise of the powers conferred by section 44AB, section 92E, clause (iv) of sub-section (2) of section 115BAA, sub-clause (iii) of clause (c) of sub-section (2) of section 115BAB, clause (iii) of sub-section (2), proviso to sub-section (3) and sub-section (5) of section 115BAC, clause (iii) of sub-section (2), proviso to sub-section (3) and sub-section (5) of section 115BAD read with section 295 the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Income-tax (22nd Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the principal rules), -

(a) in rule 5, in sub-rule (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that the allowance under clause (ii) of sub-section (1) of section 32 in respect of depreciation of any block of assets entitled to more than forty per cent. shall be restricted to forty per cent. on the written down value of such block of assets in case of -

- a domestic company which has exercised option under sub-section (4) of section 115BA, or under sub-section (5) of section 115BAA, or under sub-section (7) of section 115BAB; or
- an individual or Hindu undivided family which has exercised option under sub-section (5) of section 115BAC; or
- a co-operative society resident in India which has exercised option under sub-section (5) of section 115BAD:

Provided further that, for the purposes of section 115BAA, if the following conditions are satisfied, namely: -

- (i) option under sub-section (5) thereof is exercised for a previous year relevant to the assessment year beginning on the 1st day of April, 2020;
- (ii) there is a depreciation allowance, in respect of a block of asset, from any earlier assessment year or allowance of unabsorbed depreciation deemed so under section 72A, which is attributable to the provisions in clause (iia) of sub-section (1) of section 32; and
- (iii) such depreciation or allowance for unabsorbed depreciation is not allowed to be set off under clause (ii) or clause (iii) of sub-section (2) thereof, the written down value of the block of asset as on the 1st day of April, 2019 shall be increased by such depreciation or allowance for unabsorbed depreciation not allowed to be set off:

Provided also that, for the purposes of section 115BAC and section 115BAD, if the following conditions are satisfied, namely: -

- (i) the option under sub-section (5) of the respective section is exercised for a previous year relevant to the assessment year beginning on the 1st day of April, 2021;
- (ii) there is a depreciation allowance, in respect of a block of asset, from any earlier assessment year which is attributable to the provisions in clause (iia) of sub-section (1) of section 32; and
- (iii) such depreciation is not allowed to be set off under sub-clause (a) of clause (ii) of sub-section (2) of section 115BAC or clause (ii) of sub-section (2) of section 115BAD,

the written down value of the block of asset as on the 1st day of April, 2020 shall be increased by such depreciation not allowed to be set off.”;

(b) after rule 21AF, the following rules shall be inserted, namely: -

“Exercise of option under sub-section (5) of section 115BAC. - 21AG. (1) The option to be exercised in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 115BAC by a person, being an individual or Hindu undivided family, for any previous year relevant to the assessment year beginning on or after the 1st day of April, 2021, shall be in Form No. 10-IE.

(2) The option in Form No. 10-IE shall be furnished electronically either under digital signature or electronic verification code.

(3) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall, -

- (i) specify the procedure for filing of Form No. 10-IE;
- (ii) specify the data structure, standards and manner of generation of electronic verification code, referred to in sub-rule (2), for verification of the person furnishing the said Form; and
- (iii) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the Form so furnished.

Exercise of option under sub-section (5) of section 115BAD. - 21AH. (1) The option to be exercised in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 115BAD by a person, being a co-operative society resident in India, for any previous year relevant to the assessment year beginning on or after the 1st day of April, 2021, shall be in Form No. 10-IF.

(2) The option in Form No. 10-IF shall be furnished electronically either under digital signature or electronic verification code.

(3) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall, -

- (i) specify the procedure for filing of Form No. 10-IE;

- (ii) specify the data structure, standards and manner of generation of electronic verification code, referred to in sub-rule (2), for verification of the person furnishing the said Form; and
- (iii) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the Form so furnished.

3. In the principal rules, in Appendix II,-

(a) in Form No 3CD,-

- (i) in Part A, after serial number 8 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

“8a. Whether the assessee has opted for taxation under section 115BA/115BAA/115BAB?”;

(ii) in Part B, -

- (I) in serial number 18, after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(ca) Adjustment made to the written down value under section 115BAA (for assessment year 2020-21 only)

(cb) Adjusted written down value”;

- (II) in serial number 32, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: -

“(a) Details of brought forward loss or depreciation allowance, in the following manner, to the extent available:

Sl No	Assessment Year	Nature of loss/ allowance (in rupees)	Amount as returned* (in rupees)	All losses/ allowances not allowed under section 115BAA	Amount as adjusted by withdrawal of additional depreciation on account of opting for taxation under section 115BAA^	Amounts as assessed (give reference to relevant order)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

*If the assessed depreciation is less and no appeal pending than take assessed.

^ To be filled in for assessment year 2020-21 only.”;

(b) in Form No 3CEB, in Part C,-

- (i) serial number 22 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) serial numbers 23 and 24 shall be re-numbered as serial numbers 22 and 23 respectively;
- (iii) after serial number 23 as so renumbered, the following shall be inserted, namely: -

*24.	<p>Particulars in respect of specified domestic transaction in the nature of any business transacted between the persons referred to in sub-section (6) of section 115BAB:</p> <p>Has the assessee entered into any specified domestic transaction(s) with any persons referred to in sub-section (6) of section 115BAB which has resulted in more than ordinary profits expected to arise in such business?</p> <p>If “yes”, provide the following details:</p> <p>(a) Name of the person with whom the specified domestic transaction has been entered into</p> <p>(b) Description of the transaction including quantitative details, if any.</p> <p>(c) Total amount received/receivable or paid/ payable in the transaction -</p> <p>(i) as per books of account;</p> <p>(ii) as computed by the assessee having regard to the arm’s length price.</p> <p>(d) Method used for determining the arm’s length price [See section 92C(1)].</p>	<p>Yes/No</p> <p>_____”;</p>
------	--	------------------------------

(c) after Form No. 10-ID, the following forms shall be inserted, namely: -

“FORM No. 10-IE

[See sub-rule (1) of rule 21AG]

Application for exercise/ withdrawal of option under clause (i) of sub-section (5) of section 115BAC of the Income-tax Act, 1961

To,

The Assessing Officer,

.....

.....

Sir/ Madam,

I,[name of individual]/ Karta of Hindu undivided family (HUF).....[name of HUF]* / , on behalf of..... [name and address of the individual/ HUF*, having Permanent Account Number (PAN) do hereby exercise/ withdraw* the option referred to in clause (i) of sub-section (5) of section 115BAC of the Income-tax Act, 1961 for previous year 20.....-.....and subsequent years.

2. The details for this purpose are given below:

- (i) Name of the individual/ HUF* :
(ii) Whether the individual/ HUF* has any income under the head profit or gains from business or profession : Yes/ No
(iii) PAN :
(iii) Address :
(iv) Date of Birth/ Incorporation* :dd/mm/yyyy
(v) Nature of Business/ Profession* :

3. (i) Whether the individual/ HUF has any Unit in International Financial Services Centre (IFSC), as referred to in sub-section (1A) of section 80LA: Yes/No

(ii) If answer to (i) is Yes, provide following details: (Add number of columns depending on number of Units):

	Unit 1	Unit 2	Unit 3
(1)	(2)	(3)	(4)
Name of Unit			
Address of Unit			
Nature of activities undertaken in Unit			

4. (i) Whether option under clause (i) of sub-section (5) of section 115BAC has been exercised in Form 10-IE for any earlier previous year/ years and is now being withdrawn (**to be activated if withdrawal option is selected**) : Yes/No

(ii) If yes, previous year in which option was exercised : 20....-20.....

(iii) Date on which option exercised in Form 10-IE : d/mm/yyyy

5. I understand that the option under clause (i) of sub-section (5) of section 115BAC, once exercised in a previous year, cannot be withdrawn for the same previous year and can subsequently be withdrawn only once for any other previous rendering me/ Individual/ HUF* ineligible for exercising option under section 115BAC in terms of proviso to sub-section (5) thereof.

6. I do hereby further affirm that the conditions stipulated in section 115BAC are and shall be satisfied by me/ Individual/ HUF* (to be activated in case where the option is being exercised).

*Delete whichever is inapplicable.

Place:

Date:

Yours faithfully,

Signature of Individual/ Karta of HUF / Authorised Representative

Name.....

Designation.....

Address.....

Note: This form shall be signed by the individual/ Karta of the HUF/ Authorised Representative.

FORM No. 10-IF

[See sub-rule (1) of rule 21AH]

**Application for exercise of option under sub-section (5) of section 115BAD of the
Income-tax Act, 1961**

To,

The Assessing Officer,

.....

.....

Sir/ Madam,

I,....., on behalf of [name and registered address of the co-operative society exercising the option under sub-section (5) of section 115BAD] having Permanent Account Number (PAN)..... do hereby exercise the option referred to in sub-section (5) of section 115BAD of the Income-tax Act, 1961 for previous year 20.....-..... and subsequent years.

2. The details of the co-operative society are given below:

- (i) Name of the co-operative society :
(ii) Whether a resident co-operative society : Yes/No
(iii) PAN :
(iv) Registered Address :
(v) Date of Incorporation : dd/mm/yyyy
(vi) Nature of activities :

3. (i) Whether the co-operative society has any Unit in International Financial Services Centre (IFSC), as referred to in sub-section (1A) of section 80LA: Yes/No

(ii) If answer to (i) is Yes, provide following details: (Add number of columns depending on number of Units):

	Unit 1	Unit 2	Unit 3
Name of Unit			
Address of Unit			
Nature of activities undertaken in Unit			

5. I understand that the option under sub-section (5) of section 115BAD, once exercised for any previous year, cannot be subsequently withdrawn for the same or any other previous year.

6. I do hereby further affirm that the conditions stipulated in section 115BAD are and shall be satisfied by the aforesaid co-operative society.

Place:

Date:

Yours faithfully,

Signature of Principal Officer.....

Name.....

Designation.....

Address.....

Note: This form shall be signed by the principal officer.”;

(d) in Form ITR-6 relating to assessment year 2020-21,-

(i) in Schedule DPM, -

(I) after serial number 3 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

“3a.	Amount as adjusted on account of opting for taxation section 115BAA				
3b.	Adjusted Written down value on the first day of previous year (3) + (3a)”;				

(II) for serial number 5, the following shall be substituted, namely: -

“5.	Consideration or other realization during the previous year out of 3b or 4”;				
-----	--	--	--	--	--

(III) for serial number 6, the following shall be substituted, namely: -

“6.	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3b + 4 -5) (enter 0, if result is negative)”;				
-----	--	--	--	--	--

(IV) for serial number 20, the following shall be substituted, namely: -

“20.	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3b - 4 -7 - 19) (enter negative only, if block ceases to exist)”;				
------	--	--	--	--	--

(ii) for Schedule CFL, the following Schedule shall be substituted, namely: -

(iii) for Schedule UD, the following Schedule shall be substituted, namely: -

Schedule UD		Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)						
S. No	Assessment Year	Depreciation				Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount as adjusted on account of opting for taxation section 115BAA	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Current Assessment Year							
ii								
iii								
iv	Total							

[Notification No. 82/2020/F. No. 370142/30/2020-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy .(Tax Policy and Legislation Division)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, section 3, sub-section (i), *vide* notification number S.O. 969(E), dated the, 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 574 (E) dated the 22nd September, 2020.